पत्र संख्या–3/नीति–1106/2005 का॰ ...1001.../
झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

एम॰ के॰ मंडल,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/
सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी उपायुक्त,
झारखंड ।

रांची, दिनांक–23फरवरी, 2006

विषय :– विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों द्वारा बिना संवर्ग नियंत्री की सहमति से पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवा वापस कर दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा झारखंड सरकार, रांची द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के संदर्भ में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा उपक्रमों में राज्य स्तरीय संवर्ग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवाएँ उनके द्वारा धारित किये जाने वाले पदों की उपलब्धता तथा उसके अनुरूप किये गये अधियाचनाओं के आलोक में संवर्गीय नियंत्री विभाग द्वारा उन्हें उपलब्ध करायी जाती है । परन्तु सामान्यतः यह परम्परा सी बनती जा रही है तथा ऐसे कई दृष्टांत सरकार के समक्ष आ रहे है कि बिना संवर्गीय नियंत्री विभाग की सहमति से उन पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ प्रशासी विभाग को वापस कर दी जाती है ।

वर्णित परिस्थिति में सरकार यह महसूस करती है कि इस तरह की कार्रवाई सुदृढ़, स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है । ऐसी कार्रवाईयों से एक तरफ जहां प्रशासी विभाग के क्षेत्राधिकार का हनन होता है, तो दूसरी तरफ ऐसे अधिकांश मामले में प्रशासी विभागों को वैद्यानिक अड़चनों का भी सामना करना पड़ता है ।

अतः अनुरोध है कि उपर वर्णित परिस्थिति से निवारण हेतु इस पर निर्गत पूर्व के दिशा–निर्देशों का कड़ाई एवं तत्परता से अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा यह भी सुनिश्चित की जाय कि किसी भी विभाग/कार्यालय तथा उपक्रम में राज्य स्तरीय

संवर्ग के पदस्थापित पदाधिकारियों / कर्मचारियों के बिना उनके संवर्गीय नियंत्री विभाग की पूर्वानुमति तथा बिना स्पष्ट कारण के उनकी सेवाएँ वापस न की जाय ।

कृपया अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

(एम॰ के॰ मंडल),
मुख्य सचिव ।